



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 23, 2012/कार्तिक 1, 1934

No. 543]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 23, 2012/KARTIKA 1, 1934

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2012

सा.का.नि. 784(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्थिक सेवा (संशोधन) नियम, 2012 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
2. भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, अनुसूची - I में,
  - (क) क्रम संख्या (5) के सामने, स्तंभ (4) के अधीन अंक "146" के स्थान पर अंक "148" रखा जाएगा ;
  - (ख) क्रम संख्या (6) के सामने, स्तंभ (4) के अधीन अंक "111" के स्थान पर अंक "113" रखा जाएगा ;
  - (ग) क्रम संख्या (7) के सामने, स्तंभ (4) के अधीन अंक "105" के स्थान पर अंक "106" रखा जाएगा ;
  - (घ) स्तंभ (3) के अधीन,-

(i) “कुल ड्यूटी पद” के सामने, स्तंभ (4) में अंक “471” के स्थान पर अंक “476” रखा जाएगा ;

(ii) “कुल प्राधिकृत संख्या” के सामने, स्तंभ (4) में अंक “511” के स्थान पर अंक “516” रखा जाएगा ;

(ड) “टिप्पण” के अधीन,-

(i) मद (1) और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;

(ii) मद (2) को (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों में, अनुसूची- II में,-

(क) क्रम संख्या 1 के सामने, वित्त मंत्रालय से संबंधित स्तंभ (2) के अधीन,-

(i) आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित मद (क) के सामने, स्तंभ (8) के अधीन, अंक “8” के स्थान पर अंक “9” रखा जाएगा ;

(ii) व्यय विभाग से संबंधित मद (ख) के सामने,-

(अ) स्तंभ (5) के अधीन, अंक “1” अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(आ) स्तंभ (7) के अधीन, अंक “1” के स्थान पर अंक “3” रखा जाएगा ।

(ख) क्रम संख्या 3 के सामने, कृषि मंत्रालय से संबंधित स्तंभ (2) के अधीन,-

(i) अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय से संबंधित मद (ख) के सामने स्तंभ (6) के अधीन, अंक “9” के स्थान पर अंक “8” रखा जाएगा ;

(ii) पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग से संबंधित मद (घ) के सामने,-

(अ) स्तंभ (5) के अधीन, अंक “1” का लोप किया जाएगा ;

(आ) स्तंभ (6) के अधीन, अंक “1” अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ग) क्रम संख्या 12 के सामने, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित स्तंभ (2) के अधीन, वाणिज्य विभाग से संबंधित मद (घ) के सामने,-

(i) स्तंभ (5) के अधीन, अंक “3” के स्थान पर अंक “2” रखा जाएगा ;

(ii) स्तंभ (6) के अधीन, अंक “5” के स्थान पर अंक “6” रखा जाएगा ।

(घ) क्रम संख्या 39 के सामने, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित स्तंभ (2) के अधीन, स्तंभ (6) के अधीन, अंक “1” अंतःस्थापित किया जाएगा ।

(ड) क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
“ 43	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय						

(छ) “टिप्पण” के अधीन,-

(i) मद (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;

(ii) मद (4) को (3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

[फा. सं. 11015/1/2009-आईईएस]

राजन कुमार, सलाहकार (आई.ई.एस.)

**टिप्पण :-** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 435(अ), तारीख 5 जून, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि.648(अ), तारीख 10 सितंबर, 2008, अधिसूचना सं. सा.का.नि.753(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2008, अधिसूचना सं. सा.का.नि.350(अ), तारीख 22 मई 2009, अधिसूचना सं. सा.का.नि.376 (अ), तारीख 1 जून, 2009, अधिसूचना सं. सा.का.नि.377(अ), तारीख 1 जून, 2009, अधिसूचना सं. सा.का.नि.831(अ), तारीख 18 नवंबर, 2009, अधिसूचना सं. सा.का.नि.37 (अ), तारीख 18 जनवरी, 2010, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 82 (अ), तारीख 16 फरवरी, 2010 और अधिसूचना सं. सा.का.नि.103 (अ), तारीख 18 फरवरी, 2011 द्वारा संशोधित किए गए ।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2012

**G.S.R. 784(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 2008, namely:-

- These rules may be called the Indian Economic Service (Amendment) Rules, 2012.  
(-) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Economic Service Rules, 2008, (here in after referred to as the said rules) -
  - against serial number (5), under column (4), for the figure “146”, the figure “148” shall be substituted;
  - against serial number (6), under column (4), for the figure “111”, the figure “113” shall be substituted;
  - against serial number (7), under column (4), for the figure “105”, the figure “106” shall be substituted;

- (d) under column (3),-
- (i) against "Total Duty Posts", in column (4), for the figure "471", the figure "476" shall be substituted;
  - (ii) against "Total authorized strength," in column (4), for the figure "511", the figure "516" shall be substituted;
- (e) under the "Notes,"-
- (i) item (1) and the entry relating thereto shall be omitted;
  - (ii) item (2) shall be re-numbered as (1).

3. In the said rules, in Schedule-II,-

- (a) against serial number 1, under column (2) relating to Ministry of Finance, -
- (i) against item (a), relating to Department of Economic Affairs, under column (8), for the figure "8", the figure "9" shall be substituted;
  - (ii) against item (b), relating to Department of Expenditure, -
    - (A) under column (5), the figure 1 shall be inserted;
    - (B) under column (7), for the figure '1', the figure "3" shall be substituted;
- (b) against serial number 3, under column (2) relating to Ministry of Agriculture,-
- (i) against item (b), relating to Directorate of Economics and Statistics, under column (6), for the figure "9", the figure "8" shall be substituted;
  - (ii) against item (d), relating to Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, -
    - (A) under column (5), the figure "1" shall be omitted;
    - (B) under column (6), the figure 1 shall be inserted.
- (c) against serial number 12, under column (2) relating to the Ministry of Commerce and Industry, against item (d), relating to Department of Commerce, -
- (i) under column (5), for the figure '3', the figure "2" shall be substituted;
  - (ii) under column (6), for the figure '5', the figure "6" shall be substituted.
- (d) against serial number 39, under column (2) relating to the Ministry of Overseas Indian Affairs, under column (6), the figure "1" shall be inserted.
- (e) after serial number 42 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"43	Ministry of Food Processing Industries			1"			

- (f) under the "Notes", -
- (i) item (3) and the entry relating thereto shall be omitted;
  - (ii) item (4) shall be renumbered as (3).

[F.No. 11015/1/2009-IES]

RAJAN KUMAR, Adviser (I.E.S.)

**Note:** The Principle Rules, were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide, G.S.R. 435 (E), dated the 5<sup>th</sup> June, 2008 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 648(E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2008, notification number G.S.R. 753(E), dated the 24<sup>th</sup> October, 2008, notification number G.S.R. 350(E), dated the 22<sup>nd</sup> May, 2009, notification number G.S.R. 376(E), dated the 1<sup>st</sup> June, 2009, notification number G.S.R. 377(E), dated the 1<sup>st</sup> June, 2009, notification number G.S.R. 831(E), dated the 18<sup>th</sup> November, 2009, notification number G.S.R. 37(E), dated the 18<sup>th</sup> January, 2010, notification number G.S.R. 82(E), dated the 16<sup>th</sup> February, 2010 and notification number G.S.R. 103 (E), dated the 18<sup>th</sup> February, 2011.

4028 GI/12-2